कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला श्योपुर (म0प्र0)

क्रमांक/कले./एस.डब्ल्यू./2020/3215 श्योपुर दिनांक 29/0

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी
   श्योपुर/विजयपुर/कराहल
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   जिला श्योपुर
3. तहसीलदार
   श्योपुर/विजयपुर/कराहल/बीरपुर/बडौदा

विषयः— प्रवासी मजदूरों सहित गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिये अस्थायी आश्रयों एवं भोजन आदि की व्यवस्था बावत।

सन्दर्भः— ग्रह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का आदेश क्रमांक 40—3/2020—डीएम—1(ए) दिनांक 23 मार्च 2020।

....

ग्रह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का आदेश क्रमांक 40—3/2020—डीएम—1(ए) दिनांक 23 मार्च 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जो भी श्रमिक एवं छात्र बाहर से आ रहे हैं, उनको जिले की सीमा के पास ही रोक कर आस—पास के भवनों में Quarantine करना रहेगा। इस हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार उचित भवनों का चयन कर करीवन 200 बेड व भोजन की व्यवस्था करेंगे।

यदि वर्कर एवं छात्र जिले के हैं तो संबंधित ग्राम पंचायत व्यवस्था करेगी, और बाहर के जिले के हैं तो उनको बार्डर के पास ही रोक कर Quarantine करेंगे एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर ही जांच करेगी। ग्रह मंत्रालय के आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है, जिसके अनुसार पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—ग्रह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश की प्रति।

29/3/20

अपर कलेक्टर

जिला श्योपुर म.प्र.

क्रमांक/कले./एस.डब्ल्यू./2020/3216 श्योपुर दिनांक 29/03/20

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।
2. पुलिस अधीक्षक श्योपुर।
3. मुख्य कार्यपान अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर।
4. संबंधित...कार्यालय प्रमुख की ओर

सूचानार्थ एवं पालनार्थ।

अपर कलेक्टर

जिला श्योपुर म.प्र.